

प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-1017/23 कोर्ट केस

दिनांक-11-11-2011 के क्रम में वांछित सूचना/प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० द्वारा एटा-कायमगंज-फर्रुखाबाद रोड (एस०एच०-121) (शहरी भाग) के किमी० नं०-100(730) के मध्य दांयी पटरी पर, खसरा सं०-659, 660क व 666ख, ग्राम-खारबन्दी भीखमपुर, तहसील-फर्रुखाबाद, जिला-फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक पहुँच मार्ग निर्माण से प्रभावित संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी) का क्षेत्रफल 0.059033 हे० के अतिरिक्त अन्य कोई "वन स्वरूप" क्षेत्र चिन्हित नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक

(वी० के० उपाध्याय)

वन प्रभाग, फर्रुखाबाद

(उ०प्र०)

30/09/21

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि०
बरेली रिटेल टैरीटरी